सप्तदश

बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि $\frac{\text{17 फाल्गुन, 1942 (श०)}}{\text{08 मार्च, 2021 (ई०)}}$

प्रश्नों की कुल संख्या 106

(1) गृह विभाग	..	..	57
(2). सामान्य प्रशासन विभाग	..	..	15
(3) वित्त विभाग	..	..	08
(4) उद्योग विभाग	..	..	15
(5) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	..	..	01
(6) मंत्रिमंडल सचिवालय (नागरिक विमानन) विभाग	..	..	04
(7) गन्ना उद्योग विभाग	..	..	05
(8) वाणिज्य-कर विभाग	..	..	01
		कुल योग --	106

उप-कोषागार कार्यालय खोलना

*1241. श्री रामप्रवेश राय (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत बरौली प्रखंड में उप-कोषागार खोलने हेतु सरकार की स्वीकृति के बाद भवन का निर्माण कार्य दो दशक पूर्व ही पूरा हो चुका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त भवन के निर्माण के बाद भी उप-कोषागार कार्यालय नहीं खोला गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त भवन में उप-कोषागार कार्यालय को चालू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जिला का दर्जा

'अ'-*1242. श्री फते बहादुर सिंह (क्षेत्र संख्या-212 डिहरी)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 2015 से ही डेहरी अनुमंडल को जिला बनाने का प्रस्ताव सरकार में लम्बित है जबकि डिहरी में शाहाबाद रेंज के डी0आईजी0, आरक्षी अधीक्षक, रोहतास, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बी0एम0पी0-2 का मुख्यालय एवं अन्य विभागों के कार्यालय है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अनुमंडल को जिला का दर्जा कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*1243. श्री आनन्द शंकर सिंह (क्षेत्र संख्या-223 औरंगाबाद)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत औरंगाबाद प्रखंड के खैरा मिर्जा ग्राम पंचायत के बरियावाँ गाँव में कब्रिस्तान की भूमि का अतिक्रमण कर लिया गया है एवं कब्रिस्तान की चहारदीवारी नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान को अतिक्रमण मुक्त कराकर घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक शाखा खोलना

*1244. श्री मोहम्मद कामरान (क्षेत्र संख्या-238 गोविन्दपुर)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के रोह प्रखंड अन्तर्गत 14 पंचायतों की आबादी लगभग 80 हजार से ऊपर है एवं उक्त पंचायतों का मुख्य बाजार रोह है, फिर भी आजतक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, जिससे व्यापारियों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड में सरकारी बैंक की शाखा कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक का शाखा खोलना

*1245. श्री ललन कुमार (क्षेत्र संख्या-154 पीरपैंती (अ0जा0))--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैंती प्रखंड के बाखरपुर ग्राम जिसमें दो पंचायत है जहाँ की आबादी लगभग 8 हजार से ऊपर है एवं किसानों का कृषि संबंधी तथा मवेशी का बड़ा बाजार लगता है किन्तु आजतक कोई राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर सरकारी बैंक की शाखा कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'अ'-गृह विभाग के पत्रांक 1588, दिनांक 1 मार्च, 2021 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग में स्थानान्तरण ।

पदस्थापना करना

*1246. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के गुरूआ प्रखंड के तीन मुहाना बस स्टैण्ड के पास ट्रैफिक पुलिस की पदस्थापना नहीं रहने के कारण सड़क जाम की समस्या बराबर बनी रहती है, जिससे आवागमन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर सड़क जाम की समस्या से निजात दिलाने हेतु ट्रैफिक पुलिस की पदस्थापना कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जेल का भवन निर्माण

*1247. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के नवीनगर थाना एवं औरंगाबाद जेल के भवन का निर्माण कार्य आठ वर्षों पहले शुरू हुआ था लेकिन अभीतक भवन का निर्माण पूरा नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त थाना एवं जेल के भवन का निर्माण कबतक पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस चौकी की स्थापना

*1248. श्री बीरेन्द्र सिंह (क्षेत्र संख्या-234 वजीरगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत तरमा बाजार वजीरगंज थाना एंव फतेहपुर थाना से 12 किलो मीटर की दूरी पर है जबकि यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित एवं भारी आबादी वाला क्षेत्र है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थल पर कबतक पुलिस चौकी बनाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापन करना

*1249. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला में विभागीय पदाधिकारियों यथा अपर समाहर्ता विभागीय जाँच निदेशक लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, डी0आर0डी0ए0 एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी सहित वर्ग 1 के कई पद रिक्त हैं, जिससे जिला के प्रशासनिक एवं विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार जनहित में इन रिक्त पदों के विरुद्ध कबतक पदस्थापन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की पक्की घेराबंदी

*1250. श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला पूर्वी चम्पारण अन्तर्गत प्रखंड कल्याणपुर में सिसवा खरार पंचायत के निसकार टोला में स्थित कब्रिस्तान की पक्की घेराबंदी नहीं होने के कारण आपसी तनाव बना रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की पक्की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की पक्की घेराबंदी

*1251. श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला पूर्वी चम्पारण अन्तर्गत प्रखण्ड कल्याणपुर के सिसवा खरार पंचायत के वार्ड नं0-10 में सिसवा खरार मिडिल स्कूल के निकट कब्रिस्तान की पक्की घेराबंदी नहीं होने से अतिक्रमण हो गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की पक्की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नये भवन में थाना का संचालन

*1252. श्री मिश्री लाल यादव (क्षेत्र संख्या-81 अलीनगर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड मुख्यायल में थाना का भवन छः महीना पहले ही बनकर तैयार है, इसके बावजूद पुराने जगह से थाना संचालित हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त थाना का संचालन नये भवन में कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उद्योग लगाना

*1253. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के बासोपट्टी प्रखण्ड अन्तर्गत जोंकी गाँव में उद्योग विभाग की 22 एकड़ जमीन में रेशम उद्योग का कार्य पूर्व में संचालित हो रहा था किन्तु वर्तमान में उद्योग बंद होने के कारण उक्त भूमि पूरी तरह से खाली पड़ी हुई है तथा वहाँ के मजदूर बेरोजगार होने से उनकी माली हालत खराब हो गयी हैं, यदि हाँ, तो सरकार रेशम उद्योग की खाली जमीन पर कोई अन्य उद्योग कबतक लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) आँशिक रूप से स्वीकारात्मक। इस कार्य में मलवरी प्रसार-सह-प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत था, जो बरसात के दिनों में जलप्लावित रहने के कारण मलवरी खेती के अनुकूल नहीं रहने के कारण राज्यादेश संख्या 1095, दिनांक 24 मार्च, 2006 के द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 2006 के प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया गया। स्थानीय लोग रेशम उद्योग को छोड़कर कृषि/पशुपालन को व्यवसाय के रूप में अपनाए हुए हैं। मजदूर के बेरोजगार होने से उनकी माली हालत खराब होने की कोई सूचना विभाग को नहीं है।

(3) इस स्थान पर रेशम उद्योग प्रारंभ करने हेतु 17.29 एकड़ में तसर पौधारोपण किया गया है । तत्पश्चात पौधा तैयार हो जाने के बाद स्थानीय लोगों द्वारा तसर कीटपालन कर रेशम उत्पादन प्रारंभ की जाएगी ।

स्थापित करना

*1254. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत नवगछिया अनुमंडल के बिहपुर, खरीक में लीची की खेती बड़े पैमाने पर होती है लेकिन खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं होने के कारण किसानों को उक्त फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, यदि हाँ, तो सरकार लीची की औद्योगिक इकाई कबतक स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि सरकार के द्वारा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र को उच्च प्राथमिकता में रखा गया है और निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था की गई है ।

निजी क्षेत्र के निवेशकों द्वारा यदि इकाई स्थापित हो जाती है तो सरकार द्वारा प्रावधान के तहत आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है, अतएव निजी उद्यमियों को आगे आने की आवश्यकता है।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अन्तर्गत अबतक खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र में कुल 169 इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस दिया जा चुका है। जिसमें से 134 इकाइयाँ कार्यरत हो चुकी है। भागलपुर जिला में प्रारंभ से अबतक खाद्य-प्रसस्करंण प्रक्षेत्र में कुल 13 प्रस्तावों को स्टेज-1 क्लियरेंस (सैद्धातिक सहमति) तथा कुल-05 प्रस्तावों पर वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस दिया गया है। वर्तमान में पाँचों इकाइयाँ कार्यरत हो चुकी है। जिसमें मुख्य रूप से मल्टी फ्रूट जूस एण्ड स्क्वॉश, राईस मिल, मर्स्टड ऑयल एवं वेयर हाउस है।

जहाँतक लीची आधारित इकाई के स्थापना का प्रश्न है तो उद्योग विभाग, बिहार सरकार के द्वारा इकाई की स्थापना नहीं की जाती है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2010 के अंतर्गत निजी क्षेत्र के निवेशकों द्वारा यदि इकाई स्थापित की जाती है तो उल्लेखित नीति के प्रावधान के तहत प्रोत्साहन दिया जाता है। साथ ही कृषि विभाग के द्वारा भी बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति, 2020 पूरे राज्य में लागू की गई है, जिसके तहत कृषि आधारित कृषि प्रसंस्करण इकाई की स्थापना/विस्तारीकरण/आधुनिकीरण/विविधिकरण की पच्चीस लाख से पाँच करोड़ तक की परियोजना के लिए व्यक्तिगत निवेशक के लिए 15 प्रतिशत पूँजीगत अनुदान Farmer Producer Company के लिए 25 प्रतिशत पूँजीगत अनुदान का प्रावधान किया गया है।

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*1255. मो0 आफाक आलम (क्षेत्र संख्या-58 कसबा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा प्रखंड में संझैली पंचायत के कदबा गाँव के एकबाल चौक के पास स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुशंसा लागू करना

*1256. श्री आलोक कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-134 उजियारपुर)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा नियमितीकरण हेतु गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा अपने प्रतिवेदन पार्ट-1 में बेल्ट्रॉन के माध्यम से नियोजित डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों के सेवा समायोजन के संबंध में की गई अनुशंसा के अनुमोदन के क्रम में पुनर्विचार हेतु समिति को वापस लौटा दिया गया है जबकि सरकार द्वारा उच्चस्तरीय समिति द्वारा समर्पित प्रतिवेदन पार्ट-1 को हू-ब-हू स्वीकार करने की घोषणा की गई थी, यदि हाँ, तो सरकार उच्चस्तरीय समिति के प्रतिवेदन-1 में इन डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों के लिए की गई अनुशंसा को लागू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना भवन का निर्माण

*1257. श्री रामवृक्ष सदा (क्षेत्र संख्या-148 अलौली (अ० जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत अलौली प्रखंड के बहादुरपुर थाना का अपना भवन नहीं रहने से थाना एक स्कूल के भवन में चल रहा है, जिससे विद्यार्थी एवं शिक्षकों को पठन-पाठन एवं प्रशासनिक कार्यों में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त थाना भवन का निर्माण कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1258. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कदवा प्रखंड में स्थित बलिया बलौन थाना का अपना भवन नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त थाना विगत दस वर्षों से सामुदायिक भवन में चल रहा है जिसके कारण थाना कार्यालय का कार्य सुचारु रूप से नहीं चल पा रहा है एवं प्रशासनिक कार्यों में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त थाना का अपना भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उद्योग लगाना

'ब'-*1259. श्री जितेन्द्र कुमार राय (क्षेत्र संख्या-117 मढ़ौरा)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत मढ़ौरा में स्थित कानपुर सुगर मिल रुग्न होकर 10 वर्षों से बंद पड़ा है जबकि इस मिल की 1500 एकड़ जमीन वर्षों से बेकार पड़ी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त खाली भूमि को अधिकृत कर कृषि आधारित उद्योग लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस भवन निर्माण

*1260. श्रीमती स्वर्णा सिंह (क्षेत्र संख्या-79 गौड़ाबौराम)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के बिरौल प्रखंड अन्तर्गत हाटी कोठी के दक्षिण सरकारी भू-खण्ड है, किन्तु पुलिस निरीक्षक कार्यालय, बिरौल किराये के मकान में चल रहा है, जिससे आम लोगों को भारी असुविधा हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त भू-खण्ड पर पुलिस निरीक्षक कार्यालय, बिरौल का भवन निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1261. श्रीमती मंजू अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के आमस प्रखंड अंतर्गत कलवन पंचायत स्थित सिहुली ग्राम स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी कार्य अपूर्ण रहने के कारण आवारा पशुओं एवं असामाजिक तत्वों का आना-जाना रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कार्य कबतक पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'ब'-उद्योग विभाग के पत्रांक 892, दिनांक 01 मार्च, 2021 द्वारा गन्ना उद्योग विभाग में स्थानांतरित ।

भागीदारी सुनिश्चित करना

*1262. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सरकार क्षेत्रीय प्रशासन में 35 प्रतिशत आरक्षण के अनुरूप महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती है जबकि राज्य के थाना/प्रखंड/अनुमंडल तथा जिला स्तरीय कार्यालयों में आरक्षण अनुसार महिलाओं की 5% भी भागीदारी नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार राज्य के क्षेत्रीय कार्यालयों में आरक्षण के अनुसार महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उद्योग लगवाना

*1263. श्री मोहम्मद अनजार नईमी (क्षेत्र संख्या-52 बहादुरगंज)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला में जूट एवं मक्का की खेती प्रचूर मात्रा में की जाती है, परन्तु जूट मिल नहीं होने के कारण कृषक को सही मूल्य नहीं मिलने से कृषक इस पारम्परिक खेती से दूर होते जा रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त क्षेत्र में जूट एवं मक्का उद्योग कबतक लगवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1264. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जगदीश चन्द्र वसू उर्फ मुन्ना मुखिया की हत्या से संबंधित खगड़िया जिलान्तर्गत अलौली थाना कांड सं०-122/20, दिनांक 11 अप्रील, 2020, धारा-302, 307, 120बी/34 भा० दं० वि० में दर्ज अभियुक्तों में से मात्र तीन की ही गिरफ्तारी हुई है, शेष अभियुक्त अभी भी फरार है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पुलिस उप-महानिरीक्षक, बेगूसराय के पत्रांक-2392/सी० आर०, दिनांक 19 दिसम्बर, 2020 द्वारा किसान नेता स्व० जगदीश चन्द्र वसु उर्फ मुन्ना मुखिया के हत्यारों को संरक्षण देने के कारण फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुये शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अभियुक्तों की गिरफ्तारी

*1265. श्री आबिदुर रहमान (क्षेत्र संख्या-49 अररिया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि थाना बैरगाछी (ओ० पी०) अररिया थाना काण्ड सं०-913/2020 रिजवाना खातुन, पे० रजानूर, साकिन-ग्राम-पोखरिया, टोला-बांडोव, वार्ड नं०-10 थाना-बैरगाछी (ओ० पी०) जिला-अररिया की हत्या मो० अब्दुल, पिता-ताहा, ग्राम-मझुआ, वार्ड नं०-06 थाना-बैरगाछी (ओ० पी०) जिला-अररिया एवं अन्य 6 व्यक्तियों के द्वारा की गयी है, जिसके अभियुक्तों की अबतक गिरफ्तारी नहीं की गई है, जिससे पीड़ित को न्याय नहीं मिल पा रहा है, यदि हाँ, तो अभियुक्तों की गिरफ्तारी सरकार कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति करना

*1266. श्री आलोक कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-134 उजियारपुर)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के उत्कृष्ट एवं योग्य खिलाड़ियों को समूह ग एवं घ के 258 पदों पर नियुक्ति हेतु वर्ष 2014 में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद नियमों में बदलाव करने का कोई प्रावधान नहीं है लेकिन विभागीय पत्रांक 10957, दिनांक 25 अगस्त, 2017 द्वारा नियमों में बदलाव करने से अधिकांश उत्कृष्ट एवं योग्य खिलाड़ी नियुक्ति से वंचित हो गये हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार वर्ष 2014 में प्रकाशित विज्ञप्ति के शर्ताधीन खिलाड़ियों की नियुक्ति करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

हवाई सेवा चालू करना

*1267. श्री प्रणव कुमार (क्षेत्र संख्या-165 मुंगेर)--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय (राज्यभाषा कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं नागरिक विमानन) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के योग विश्वविद्यालय में अपने देश के साथ-साथ कई देशों से लोग योग की शिक्षा लेने मुंगेर आते हैं लेकिन हवाई सेवा चालू नहीं होने के कारण उन्हें काफी परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार मुंगेर में हवाई सेवा चालू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1268. श्री चन्द्र शेखर (क्षेत्र संख्या-73 मधेपुरा)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक बैंक किसानों को दी जाने वाली के०सी०सी० ऋण के लक्ष्य को पूरा नहीं करते हैं, यदि हाँ, तो सरकार प्रत्येक वर्ष निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं करने वाले बैंकों पर कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

तेल की मात्रा को बढ़ाना

*1269. श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी (क्षेत्र संख्या-200 बक्सर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के नक्सल प्रभावित प्रत्येक थानों को प्रति वाहन 220 ली० तेल गश्ती हेतु मिलता है जबकि सामान्य थानों को प्रति वाहन 110 ली० तेल गश्ती हेतु मिलता है, यदि हाँ, तो सरकार जनसंख्या दबाव एवं बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को देखते हुये तेल की मात्रा को बढ़ाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1270. श्रीमती वीणा सिंह (क्षेत्र संख्या-129 महनार)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला वैशाली के प्रखण्ड जन्दाहा अन्तर्गत ग्राम-रसलपुर पुरूषोत्तमपुर में अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सातवाँ वेतनमान का भुगतान

*1271. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 1 जनवरी, 2006 से छठा एवं दिनांक 1 जनवरी, 2016 से सातवें वेतनमान का भुगतान किया जा रहा है जबकि बिहार खादी

ग्रामोद्योग बोर्ड के कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 1996 से पंचम पुनरीक्षित वेतनमान में ही वेतन का भुगतान किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के कर्मचारियों को छठा एवं सातवाँ वेतनमान का भुगतान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के कर्मचारियों को छठा पुनरीक्षित वेतनमान का भुगतान करने के संबंध में वित्त विभाग से परामर्श की माँग की गयी है। वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में विभाग द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

ओ०पी० भवन निर्माण

*1272. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के बेगूसराय प्रखण्ड में लौहिया नगर पुलिस ओ०पी० मुफस्सिल थाना परिसर एवं रतनपुर पुलिस ओ०पी० किराये के मकान में चल रहा है जिसके कारण पुलिस प्रशासन सहित पुलिस कर्मियों को कार्य करने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों पुलिस ओ०पी० का भवन निर्माण कबतक, कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओ०पी० खोलना

*1273. श्री शमीम अहमद (क्षेत्र संख्या-12 नरकटिया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के नरकटिया विधान सभा क्षेत्र के बंजरिया प्रखण्ड के फुलवार में ओ०पी० का निर्माण नहीं किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बंजरिया प्रखण्ड के फुलवार की दूरी 15 कि०मी० है, फलत: घटना घटित हो जाने पर पुलिस प्रशासन को लम्बी दूरी के कारण स्थल पर पहुँचने में देरी के कारण असामाजिक तत्वों को लाभ मिल जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त स्थान पर ओ०पी० खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

साख जमा अनुपात बढ़ाना

*1274. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार में कुल जमा 1,18,25,764 लाख रुपये और ऋण 41,94,974 लाख रुपये में साख जमा अनुपात 35.47 प्रतिशत है जो अन्य विकसित राज्यों से कम है, यदि हाँ, तो सरकार बैंकों में साख जमा अनुपात बढ़ाने हेतु क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

संचालित करना

*1275. श्री चन्द्रहास चौपाल (क्षेत्र संख्या-72 सिंहेश्वर (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत शंकरपुर थाना भवन प्राईवेट जमीन में संचालित है, जिससे थाना के कार्य संचालन में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त थाना को सरकारी भवन में संचालित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

संविदा पर रखना

*1276. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला में प्रखंड दुर्गावती, रामगढ़, नुआँव एवं अधौरा में प्रखंड कार्यालय एवं अंचल कार्यालय में चालक 2006 से दैनिक वेतन पर प्रतिनियुक्त है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंड कार्यालय, अधौरा के पत्रांक 87, दिनांक 8 फरवरी, 2011 द्वारा प्रखंड कार्यालय, अधौरा में संविदा पर चालक की प्रतिनियुक्ति हेतु पत्र दिया गया था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दैनिक वेतनभोगी चालक को बी0डी0ओ0 एवं सी0ओ0 के पत्र के आलोक में संविदा पर रखने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) वस्तुस्थिति यह है कि प्रखंड कार्यालय, दुर्गावती, रामगढ़, नुआँव एवं अधौरा तथा अंचल कार्यालय, दुर्गावती, नुआँव एवं अधौरा में दैनिक पारिश्रमिकी पर चालक से कार्य लिया जा रहा है ।

(2) स्वीकारात्मक ।

(3) दैनिक वेतनभोगी को संविदा पर रखे जाने का कोई प्रावधान नहीं है ।

बकाये वेतनादि का भुगतान

*1277. श्री हरीभूषण ठाकुर "बचोल" (क्षेत्र संख्या-35 बिस्फी)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के लोहट चीनी मिल के कर्मियों के बकाये वेतनादि का भुगतान दस वर्षों से नहीं हुआ है जिससे कर्मियों के सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त चीनी मिल कर्मियों के बकाये वेतनादि का कबतक भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सुगर फैक्ट्री चालू कराना

*1278. श्री राजेश कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-104 हथुआ)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत हथुआ सुगर फैक्ट्री वर्ष 1997 से बंद है, जिस कारण स्थानीय गन्ना किसानों को काफी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सुगर फैक्ट्री को कबतक चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि हथुआ चीनी मिल क्षेत्र के गन्ना का सामयिक निष्पादन मेसर्स विष्णु सुगर मिल लि0, गोपालगंज, मेसर्स सासामूसा सुगर वर्क्स प्रा0 लि0, गोपालगंज एवं मेसर्स बजाज हिन्दुस्तान सुगर लि0, प्रतापपुर, देवरिया (उत्तर प्रदेश) द्वारा किया जाता है ।

गोपालगंज जिलान्तर्गत बिहार राज्य चीनी निगम की इकाई हथुआ एवं अन्य चीनी मिल के पुनरुद्धार हेतु पाँच निविदायें आमंत्रित किये गये थे परन्तु गन्ना आधारित उद्योग हेतु एक भी सफल निवेशक उपलब्ध नहीं हो पायें ।

वर्तमान में बिहार राज्य चीनी निगम के बंद पड़ी इकाइयों (फार्म लैण्ड सहित) जिसमें हथुआ चीनी मिल भी सम्मिलित है, को बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) को Priority Sector की उद्योगों की स्थापना हेतु हस्तांतरित कर दिया गया है ।

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1279. श्री मोहम्मद अनजार नईमी (क्षेत्र संख्या-52 बहादुरगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के बहादुरगंज प्रखंड अन्तर्गत खरसेल (मोहम्मद नगर) एवं मुर्मला, (देशियाटोली) स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण आवारा पशुओं के द्वारा कब्र को क्षत-विक्षत कर दिया जाता है, यदि हाँ, तो सरकार उपर्युक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1280. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गृह विभाग के द्वारा राज्य के सभी पुलिस थाना के लिये भवन बनाने की योजना लागू है जबकि शेखपुरा जिलान्तर्गत अरियरी प्रखंड के महुली थाना को अपना भूमि रहने के बावजूद अभीतक थाना भवन का निर्माण नहीं कराया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त थाना के लिये कबतक भवन निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शहीद स्मारक पार्क का निर्माण

*1281. श्री मेवालाल चौधरी (क्षेत्र संख्या-164 तारापुर)--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के तारापुर विधान सभा क्षेत्र उन शहीदों की कर्मभूमि है, जो सन् 15 फरवरी, 1932 को तारापुर थाना पर तिरंगा फहराने के दौरान वीरगति को प्राप्त हुये थे, यदि हाँ, तो क्या सरकार उनकी याद में तारापुर अनुमंडल कार्यालय के पीछे स्थित सरकारी जमीन पर शहीद स्मारक पार्क का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओ0 पी0 को थाना में अपग्रेड करना

*1282. श्रीमती मंजु अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत डोभी प्रखंड संचालित डोभी ओ0 पी0 में केस की अग्रिम कार्रवाई हेतु शेरघाटी थाना अग्रसारित किया जाता है जिससे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त ओ0 पी0 को थाना में अपग्रेड करने का विचार करती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1283. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन (क्षेत्र संख्या-133 समस्तीपुर)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत जिला मुख्यालय में अवस्थित मॉडल उच्चतर विद्यालय के प्रांगण में अल्पसंख्यक आवासीय कल्याण छात्रावास (ब्वॉय) भवन निर्माण हेतु शिक्षा विभाग ने अपनी सहमति वर्ष 2018 में ही दिया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग द्वारा भवन निर्माण के स्वीकृति के बावजूद अभीतक उक्त छात्रावास भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है, जिसके कारण अल्पसंख्यक समाज के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्रों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में उक्त भवन का निर्माण कार्य अविलम्ब शुरू करना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*1284. श्री सत्यदेव राम (क्षेत्र संख्या-107 दरौली (अ० जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत आन्दर प्रखंड के ग्राम-तीयाय निवासी सिपाही चौहान, पिता-कौलेशर चौहान एवं शैलेश चौहान, पिता-सिपाही चौहान को मैरवा जाने के क्रम में ग्राम-मनिया से दक्षिण नहर पर दिनांक 23 अक्टूबर, 2019 को अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गयी जिसकी असांव थाना में दर्ज प्राथमिकी संख्या 102/19 है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दोहरे हत्या कांड के पीड़ित परिवारों को काफी समय बीतने के बाद भी आजतक कोई मुआवजा राशि नहीं मिलने से पीड़ित परिवार भुखमरी की समस्या से जूझ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त पीड़ित परिवार को कबतक मुआवजा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कार्य पूरा करना

*1285. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड में बियाडा के जमीन पर लगाये जाने वाले स्टार्च फैक्ट्री विभागीय लापरवाही के कारण दस वर्षों में भी पूरा नहीं हुआ है जिससे इलाके के लाखों मक्का किसान को मक्का उपज का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है तथा सरकार को भी राजस्व की हानि हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार स्टार्च फैक्ट्री के निर्माण में हो रहे विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी पर कार्रवाई करते हुए कबतक निर्माण कार्य पूरा करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कारखाना चालू कराना

*1286. श्री फते बहादुर सिंह (क्षेत्र संख्या-212 डिहरी)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत डिहरी नगर परिषद् क्षेत्र के अन्तर्गत डालमियानगर का रोहतास इंडस्ट्रीज वर्ष 1984 से बंद पड़ा है जिससे मजदूरों के सामने भुखमरी उत्पन्न हो गई है, यदि हाँ, तो सरकार बंद पड़े कारखाना को कबतक चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*1287. श्री इजहारूल हुसैन (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतालने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत पोठिया प्रखंड के गाजापारा पंचायत के महेशबथना गाँव के कब्रिस्तान की घेराबंदी आजतक नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*1288. श्री जितेन्द्र कुमार राय (क्षेत्र संख्या-117 मढ़ौरा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के मढ़ौरा प्रखंड के मंझवालिया एवं नगरा प्रखण्ड के धूप नगर कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने से अतिक्रमण हो रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

लापता की तलाश करना

*1289. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--दिनांक 8 फरवरी, 2021 को दैनिक अखबार में प्रकाशित समाचार के आलोक में क्या मंत्री गृह विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिले के दुल्हिन बाजार प्रखण्ड थाना रानी तालाब ग्राम-काब निसरपुरा निवासी स्वर्गीय मदन मोहन सिंह के पुत्र पेशे से इंजीनियर मनीष कुमार (28 वर्ष) जो उत्तराखण्ड जोशीमठ के समीप ''ओम मेटल्स इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड'' में सहायक अभियंता के रूप में कार्यरत थे, उत्तराखण्ड स्थित चमोली में ग्लेशियर टूटने के कारण अबतक लापता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार मनीष कुमार को ढूंढने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1290. श्री श्रीकान्त यादव (क्षेत्र संख्या-113 एकमा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत कार्यालय नगर पंचायत, मैरवा के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांग करने के कारण दुर्गेश कुमार, आदर्श नगर लोहार पट्टी मैरवा, जिला-सीवान, बिहार के विरुद्ध स्थानीय थाना में कांड संख्या 377/20 के अंतर्गत 341/323/504 आईपीसी एंड 3(2) (वीए) के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार मैरवा कांड संख्या 377/20 का रिविजन कर जांचोपरांत दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करना चाहती है, नहीं, तो क्यों?

उद्योग खोलना

*1291. श्री ललन कुमार (क्षेत्र संख्या-154 पीरपैंती (अ0 जा0))--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगाँव प्रखंड के रमजानीपुर, बभनगांवा, कुतुरपुर, अलीपुर, विसनपुर, हबीबपुर, लौगांय, कासड़ी एवं परसुरामचक ग्राम सात मौजा की भूमि बियाडा द्वारा वर्ष 1990 में उद्योग खोलने हेतु अधिग्रहण किया गया था परंतु अबतक किसी प्रकार का उद्योग नहीं लगाया गया है न ही किसानों को जमीन वापस किया गया है, जबकि उद्योग हेतु अधिग्रहित जमीन पर पाँच वर्षों तक उद्योग नहीं लगाया गया हो तो किसानों की जमीन वापस किए जाने का प्रावधान है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जमीन का मुआवजा देते हुए कबतक उद्योग खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस चौकी स्थापित करना

*1292. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत केसरिया विधान सभा क्षेत्र के कल्याणपुर प्रखंड के नारायणपुर गाँव में 23 किलोमीटर की परिधि में एक भी पुलिस चौकी स्थापित नहीं है जिसके कारण विधि व्यवस्था कायम रखने तथा अपराध को नियंत्रित करने में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उपर्युक्त गाँव में पुलिस स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*1293. श्री राजेश कुमार (क्षेत्र संख्या-222 कुटुम्बा (अ0 जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत कुटुम्बा प्रखंड के नेवड़ा एवं नवीनगर प्रखंड के खजूरी टीका के कब्रिस्तानों की घेराबन्दी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों कब्रिस्तानों की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जूट मिल चालू करना

*1294. श्री कृष्ण कुमार ऋषि (क्षेत्र संख्या-59 बनमनखी (अ0जा0))--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार एवं पूर्णियाँ जिलान्तर्गत एन0 जे0 एम0 सी0 की इकाई आर0 बी0 एच0 एम0 जूट मिल सहित काँटी, कूट फैक्ट्री तथा दो फ्लावर मिल वर्ष 2016 से बंद होने कारण पाँच हजार कामगार बेरोजगार हो गये हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि जूट मिल बंद होने से किसानों की खेती पर सीधा असर पड़ा है जिसके कारण करीब 1200 कामगार अन्य राज्यों में पलायन करने हेतु मजबूर है साथ ही उक्त मिल की करोड़ों की मशीन एवं अन्य उपकरण खराब हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जूट मिल को कबतक चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी करवाना

'क'-*1295. श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव (क्षेत्र संख्या-216 जहानाबाद)--क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला अन्तर्गत रतनीफरीदपुर प्रखंड के पंडौल में करीब 2.5 एकड़ श्मशान घाट की जमीन है जिसकी घेराबंदी नहीं होने के कारण अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त श्मशान घाट की घेराबंदी करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि गृह विभाग द्वारा श्मशान घाट की घेराबंदी कराये जाने का प्रावधान नहीं है ।

ओ0 पी0 का प्रारंभ

*1296. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला अन्तर्गत दरभंगा शहर के शुभंकरपुर रत्नीपट्टी में पिछले 8 वर्ष पूर्व सरकार ने ओ0 पी0 की स्वीकृति दी थी किन्तु अभीतक वहाँ ओ0 पी0 प्रारंभ नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त ओ0 पी0 को कबतक प्रारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चीनी मिल की स्थापना

*1297. श्री राजेश कुमार (क्षेत्र संख्या-222 कुटुम्बा (अ0जा0))--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत एक भी गन्ना उद्योग केन्द्र नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार औरंगाबाद जिले के बियाडा के भू-खंड पर चीनी मिल की स्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अवधि विस्तार करना

*1298. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में कोरोनाजन्य लॉकडाउन के कारण सभी निर्माण कार्य की सीमावधि 6 माह बढ़ाई गई है परन्तु बिहार पुलिस निर्माण निगम द्वारा अवधि विस्तार नहीं किये जाने के कारण निर्माण कार्य में लगे हुये संवेदकों में असंतोष है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बिहार पुलिस निर्माण निगम में चल रहे कार्यों का भी 6 माह का अवधि विस्तार देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'क'-समाज कल्याण विभाग के पत्रांक 4P-1931/4/2021 द्वारा गृह विभाग में स्था0 ।

टैक्स कम करना

*1299. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 18 जनवरी, 2021 को प्रकाशित शीर्षक ''यू0पी0 सीमा से हो रही है डीजल तस्करी को रोकने की माँग'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में पेट्रोल एवं डीजल पर ज्यादा टैक्स होने के कारण डीजल का दर उत्तर प्रदेश से 4.45 रुपया महंगा है जिससे उत्तर प्रदेश के 6 सीमावर्ती जिलों में राज्य के भीतर डीजल तथा पेट्रोल अधिक टैक्स होने के कारण ट्रक एवं अन्य गाड़ियाँ उत्तर प्रदेश में ही डीजल एवं पेट्रोल भरा लेते हैं, जिससे राज्य के सीमावर्ती जिले के पेट्रोल पम्प बंद होने के कगार पर है, जिससे राजस्व की क्षति होती है, यदि हाँ, तो सरकार पेट्रोल एवं डीजल पर वैट टैक्स कम करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

1. उत्तर प्रदेश राज्य की तुलना में बिहार राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में डीजल एवं पेट्रोल महंगा है । अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि होने के कारण यह अन्तर और अधिक हो गया है । दिनांक 19 फरवरी, 2021 को बनारस (उ0 प्र0) की तुलना में राज्य के मोहनियाँ में पेट्रोल रुपया 5.03 प्रति लीटर एवं डीजल रुपया 5.72 प्रति लीटर महंगा था । किन्तु इस तिथि को पटना में पेट्रोल रुपया 3.44 प्रति लीटर जबकि डीजल रुपया 4.23 प्रति लीटर ही महंगा था ।

2. डीजल एवं पेट्रोल की कीमतों का निर्धारण कई बातों पर निर्भर करता है, जिसमें आधार मूल्य प्रमुख है । बिहार में पेट्रोल एवं डीजल के मूल्य निर्धारण हेतु तेल कम्पनियों द्वारा निर्धारित आधार मूल्य (कर रहित मूल्य) उत्तर प्रदेश की तुलना में अधिक होने के कारण बिहार राज्य में इनकी कीमत ज्यादा है ।

राज्य में सीमावर्ती क्षेत्रों में अवस्थित कुछ एक पेट्रोल पम्प की बिक्री का आकलन किये जाने पर स्थिति निम्न प्रकार पायी गयी :--

जिला का नाम	पेट्रोल पम्प का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19 में पेट्रोलियम उत्पादों का विक्रय आवर्त (राशि करोड़ में)।	वित्तीय वर्ष 2019-20 में पेट्रोलियम उत्पादों का विक्रय आवर्त (राशि करोड़ में)।
भभुआ	किसान फिलिंग	8.59	8.58
	आशीर्वाद सर्विस स्टेशन	2.47	2.93
	आदित्य फ्यूल सेंटर	4.77	3.73
सारण	शिव राधा पेट्रोलियम	5.08	4.97
	जय बजरंग किसान सेवा केन्द्र	8.31	9.58
बगहा	किनवर गणेश राधिका किसान सेवा केन्द्र ।	1.66	2.05
बक्सर	शिवम् सर्विसेज	4.59	4.63
	महेश्वरी फिलिंग स्टेशन	7.89	8.99
गोपालगंज	शारदा पेट्रोलियम	0.26	2.31
सीवान	बालाजी फ्यूल सेंटर	6.50	5.43

इस प्रकार यह कथन कि राज्य के सीमावर्ती जिले के पेट्रोल पम्प बंद होने के कगार पर हैं, अस्वीकारात्मक है ।

3. जहाँतक राजस्व की क्षति का प्रश्न है, इस संबंध में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में पेट्रोल एवं डीजल से प्राप्त कर राजस्व की समीक्षा में पाया गया कि वैश्विक महामारी कोविड के कारण वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास में पेट्रोल एवं डीजल से प्राप्त कर संग्रह में (-) 5.68 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर प्राप्त हुई है । लेकिन चालू वित्तीय वर्ष के द्वितीय त्रैमास में (+) 25 प्रतिशत एवं तृतीय त्रैमास में (+) 22 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त हुई है । इसी प्रकार माह जनवरी, 2021 में इस प्रक्षेत्र से (+) 14 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त हुई है ।

इस प्रकार पेट्रोल एवं डीजल पर वैट टैक्स कम किया जाना राजस्व हित में नहीं है ।

मंदिर की घेराबंदी करना

*1300. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत पूर्णियाँ नगर निगम वार्ड संख्या 40 पूर्णियाँ सिटी में प्राचीन रामजानकी ठाकुरबाड़ी मंदिर है, जो धार्मिक न्यास बोर्ड से संबद्ध है, की घेराबंदी नहीं रहने के कारण प्राचीन मंदिर की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त मंदिर को अतिक्रमण से बचाने हेतु घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

यात्रा भत्ता उपलब्ध कराना

*1301. डॉ० सत्येन्द्र यादव (क्षेत्र संख्या-114 मांझी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि माननीय विधायकों की सुरक्षा में तैनात अंगरक्षकों को बिहार में यात्रा भत्ता दिया जाता है जबकि सारण प्रक्षेत्र में माननीय विधायकों के सुरक्षा में तैनात अंगरक्षकों को यात्रा भत्ता से वंचित रखा गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अंगरक्षकों को यात्रा भत्ता देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

लाभ देना

*1302. श्री कुमार सर्वजीत (क्षेत्र संख्या-229 बोध गया (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सरकार के जन-कल्याणकारी कार्यों, शान्ति व्यवस्था बहाल करने, रात्रि गश्ती करने एवं अन्य कई महत्वपूर्ण कार्यों में ग्राम रक्षा दल के सदस्यों की सेवा ली जा रही है, किन्तु इन्हें न तो वेतनमान दिया जा रहा है और न ही कोई और सुविधा प्रदान की जा रही है, यदि हाँ, तो सरकार ग्राम रक्षा दल के सदस्यों को वर्दी, मानदेय, जीवन बीमा के लाभ की स्वीकृति कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति करना

*1303. डॉक्टर संजीव कुमार (क्षेत्र संख्या-151 परबत्ता)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला पदाधिकारी सारण के ज्ञापांक 202/स्था०, दिनांक 16 फरवरी, 2018 द्वारा समूह 'घ' के पदों पर कुल 138 दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के पश्चात विगत 2 वर्ष पूर्व स्थायी पद पर नियुक्ति की गयी थी जबकि श्री रामप्रवेश मांझी (आई डी सं० 7371) एवं श्रीमती मीना देवी (आई डी सं० 9677) ग्राम+पो०-आमी, जिला-सारण सहित कुल 160 लोगों को मेधा सूची में मेधा क्रमांक ऊपर रहने के बावजूद इन्हें छोड़ कर कनीय मेधा सूची वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी गयी है जबकि पद अभी भी रिक्त है, यदि हाँ, तो मेधा सूची में ऊपर कर्णांकित अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं कर कनीय मेधा सूची वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने का क्या औचित्य है एवं सरकार शेष रिक्त पदों पर उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*1304. मो० आफाक आलम (क्षेत्र संख्या-58 कसबा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा प्रखंड में मलहरिया पंचायत के देवदा गाँव में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वासभूमि के मालिक का पर्चा देना

'ख'-*1305. श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चंपारण के बगहा जिला अन्तर्गत लौकरिया थाना कांड संख 68/20 में वर्णित मालिक गैर-मजरूआ जमीन पर वास करने वाले 107 परिवारों को भू-माफिया गिरोह द्वारा 21 सितम्बर, 2020 को उजाड़ दिया गया था जिन्हें आजतक न उनकी वासभूमि की जमीन मिल सकी है औन न न्याय मिल सका है, यदि हाँ, तो सरकार उन भूमिहीन परिवारों को गैर-मजरूआ मालिक वासभूमि का पर्चा कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक-नीति बनाना

*1306. श्री नीतिश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में एक सर्वसुलभ नयी औद्योगिक नीति नहीं रहने के कारण उद्योगों की स्थापना हेतु पूंजी निवेशकर्ता को आकर्षित करने में कठिनाई हो रही है जिसके कारण नये उद्योगों की स्थापना नहीं हो पा रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार निवेशकों को आकर्षित करने हेतु एक नई औद्योगिक नीति बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाँच कराना

*1307. श्री महबूब आलम (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि संपतचक अंचल, पटना के तत्कालीन अंचलाधिकारी ने कार्यालय पत्रांक 1115, दिनांक 11 अक्टूबर, 2019 द्वारा अंचल के लगभग 500 बाढ़ पीड़ित प्रदर्शनकारी ग्रामीणों व इनके प्रतिनिधियों को नामजद बनाते हुये गोपालपुर थाना कांड संख्या 36/2019 दर्ज कराया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त थाना कांड संख्या में तथ्यों को बेबुनियाद-मनगढ़ंत बता इसे वापस लेने हेतु लगभग 900 ग्रामीणों ने हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन (याचिका) विभाग को दिनांक 28 अक्टूबर, 2019 को समर्पित किया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इसकी जाँच कराकर उक्त अंचल के बाढ़ पीड़ित ग्रामीण गरीबों पर दर्ज गोपालपुर थाना कांड संख्या 36/2019 को वापस लेना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

न्याय दिलाना

*1308. श्री सुधांशु शेखर (क्षेत्र संख्या-31 हरलाखी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के खिरहर थाना काण्ड संख्या 94/2020 में आरोपियों की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है किन्तु पुलिस आरोपियों पर अबतक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर सकी है, यदि हाँ, तो सरकार आरोपियों को गिरफ्तारी करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*1309. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन (क्षेत्र संख्या-133 समस्तीपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत प्रखंड समस्तीपुर के पंचायत के चकनूर एवं बेझाडीह स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी कार्य अभीतक नहीं हुआ है, जिसके कारण अक्सर दो समुदायों के बीच तनाव बना रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट -'ख'-गृह विभाग के पत्रांक 1463, दिनांक 25 फरवरी, 2021 द्वारा राजस्व एवं भूमि विभाग में स्थानान्तरित ।

अग्निशामक गाड़ी उपलब्ध कराना

*1310. श्री सत्यदेव राम (क्षेत्र संख्या-107 दरौली (अ0जा0))--क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीवान जिला अन्तर्गत सुरक्षित विधान सभा दरौली, क्षेत्र संख्या 107 में तीन प्रखंड दरौली, आन्दर और गुठनी है, जो जिला मुख्यालय से 40 किलो मीटर दूर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त वर्णित प्रखंडों के गाँवों में गर्मी के महीनों में अगलगी की घटना होती है, तो जिला मुख्यालय से अग्निशामक गाड़ी घटना स्थल पर पहुँचते-पहुँचते घर, सम्पत्ति जलकर राख हो जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों के तीनों थानों में अग्निशामक गाड़ी देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पूर्ण थाना का दर्जा देना

*1311. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के पंचपकरी सहायक थाना का गठन 1989 में हुआ है परंतु अभीतक भवन नहीं बना है जिसके कारण अधिकारी/कर्मी के बैठने एवं आवास की स्थायी रूप से समुचित व्यवस्था नहीं होने से परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार पंचपकरी सहायक थाना को पूर्ण थाना का दर्जा देते हुये कबतक भवन बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आरोपित को गिरफ्तार करना

*1312. श्री सिद्धार्थ सौरव (क्षेत्र संख्या-191 बिक्रम)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना शहर स्थित कोतवाली थाना में दर्ज डॉक्टर रमेश चन्द्रा अपहरण कांड संख्या 301/03, दिनांक 23 जुलाई, 2003 का आरोपी रणविजय सिंह उर्फ बबलु सिंह एवं अन्य स्थानीय पुलिस प्रशासन की लापरवाही से आजतक गिरफ्तार नहीं किये गये हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित हत्या कांड के आरोपित को गिरफ्तार करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1313. श्री रामवृक्ष सदा (क्षेत्र संख्या-148 अलौली (अ0जा0))--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत अलौली प्रखंड की जनसंख्या 5,00,000 (पाँच लाख) है साथ ही अलौली प्रखंड के खगड़िया अनुमंडल की दूरी 25 किलो मीटर है तथा यह नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, यदि हाँ, तो सरकार अलौली प्रखंड को अनुमंडल का दर्जा देने हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना खोलवाना

*1314. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत प्रखंड मोरवा में 18 पंचायत अवस्थित है, किन्तु इस प्रखंड में एक हलई ओ0 पी0 थाना है, जबकि प्रखंड बहुत बड़ा होने के कारण वहाँ के ग्रामीण जनता को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड में एक थाना कबतक खोलवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ग्रामीण बैंक स्थापित करना

*1315. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ0ज0जा0))--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दुर्गापुर, भवानीपुर खट्टी, चैकिया पहाड़पुर पंचायत के 30,000 हजार आबादी के लिये बैंकिंग सुविधा के लिये कोई भी बैंक नहीं है, इन्हें 15 किलो मीटर दूर अमदाबाद बाजार आना पड़ता है ;

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार दुर्गापुर हाट में ग्रामीण बैंक स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक । कटिहार जिला अवस्थित दुर्गापुर हाट से अमदाबाद बाजार की दूरी मात्र 4 से 5 किलो मीटर है । अमदाबाद बाजार में पूर्व से ही सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा कार्यरत है । सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक अन्य शाखा बलरामपुर क्षेत्र में है, जिसकी दूरी अमदाबाद बाजार से महज 7-8 किलो मीटर है । इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा भवानीपुर में स्थापित है, जिसकी दूरी अमदाबाद बाजार से मात्र 1-2 किलो मीटर है ।

कटिहार के दुर्गापुर, भवानीपुर खट्टी, चैकिया पहाड़पुर पंचायत इन तीनों जगहों पर सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अमदाबाद शाखा का ग्राहक सेवा केन्द्र भी अवस्थित है ।

उक्त क्षेत्र में पूर्व से सभी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है ।

(2) बैंक शाखा/आउटलेट खोलने का निर्णय बैंकों के द्वारा व्यावसायिक उद्देश्यों एवं वाणिज्यिक लाभप्रदता के आधार पर लिया जाता है ।

शहीदों की प्रतिमा स्थापित कराना

*1316. श्री मेवालाल चौधरी (क्षेत्र संख्या-164 तारापुर)--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत तारापुर प्रखंड के तारापुर थाना के भवन पर 15 फरवरी, 1932 को तिरंगा फहराने के दौरान 34 जवान शहीद हो गये थे, जिनकी याद में वर्ष 1984 में तत्कालीन सरकार द्वारा शहीद स्मारक भवन का निर्माण कराया गया था किन्तु शहीदों का प्रतिमा अभीतक नहीं स्थापित किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पिछले महीने माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 'मन की बात' में इन शहीदों का जिक्र किया गया था, जिसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शहीदों की प्रतिमा स्थापित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

यात्रा भत्ता उपलब्ध कराना

*1317. श्री बीरेन्द्र सिंह (क्षेत्र संख्या-234 वजीरगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि माननीय विधायकों के अंगरक्षक में जो पुलिसकर्मी तैनात है उनका यात्रा भत्ता देय है जबकि गया जिला के माननीय विधायकों के अंगरक्षक में तैनात पुलिसकर्मियों को यात्रा भत्ता नहीं मिल रहा है, यदि हाँ, तो सरकार गया जिला में माननीय विधायकों के अंगरक्षक में तैनात पुलिसकर्मियों को यात्रा भत्ता कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओ0 पी0 को थाना बनाना

*1318. श्री दामोदर रावत (क्षेत्र संख्या-242 झाझा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिला के ओ0 पी0 गिद्धौर बिहार अधिसूचना संख्या 2841/पी0, दिनांक 9 जून, 1945 से संचालित है तथा प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय गिद्धौर 7 सितम्बर, 1994 से कार्यरत है जबकि ओ0 पी0 गिद्धौर आज भी लक्ष्मीपुर थाना का एक ओ0 पी0 है, यदि हाँ, तो सरकार गिद्धौर ओ0 पी0 को थाना में परिवर्तित कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*1319. श्रीमती स्वर्णा सिंह (क्षेत्र संख्या-79 गौड़ाबौराम)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला अन्तर्गत बड़गाँव ओ0 पी0 का अपना भवन नहीं है जिसके कारण विधि व्यवस्था संधारण के साथ-साथ थाना अभिलेख रख-रखाव में काफी कठिनाइयाँ हो रही है जबकि इसके भवन निर्माण हेतु स्थल का चयन कर लिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार बड़गाँव ओ0 पी0 का भवन निर्माण कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पद का सृजन करना

'ग'-*1320. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार के वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660, दिनांक 8 दिसम्बर, 1999 के अनुसार पंचम वेतन आयोग अनुशंसा के आलोक में दिनांक 1 जनवरी, 1996 से पूरे बिहार के सभी विभागों में आवश्यकता आधारित पद का सृजन करना था, जो आजतक लंबित है ;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार यह बतलाने का विचार रखती है कि अभीतक आवश्यकता आधारित पदों का सृजन नहीं करने का क्या औचित्य है ?

स्थानीय आरक्षण नीति लागू करना

*1321. श्री कुमार सर्वजीत (क्षेत्र संख्या-229 बोध गया (अ0 जा0))--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार के पड़ोसी राज्यों में उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन एवं सरकारी नौकरियों में 85 प्रतिशत स्थान वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित कर दिया गया है जबकि बिहार में स्थानीय नीति (डोमिसाईल नीति) लागू नहीं होने के कारण राज्य के युवा नौकरियों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन के अवसरों से वंचित हो रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार सरकारी नौकरियों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु स्थानीय आरक्षण नीति (डोमिसाईल नीति) लागू करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*1322. श्री प्रणव कुमार (क्षेत्र संख्या-165 मुंगेर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दिनांक 26 अक्टूबर, 2020 को दुर्गा पूजा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस के द्वारा की गई फायरिंग में बेकापुर मुंगेर निवासी अनुराग पोद्दार की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी, यदि हाँ, तो सरकार जांच कर पीड़ित परिवार को मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आदेश पारित करना

*1323. श्री विजय शंकर दुबे (क्षेत्र संख्या-112 महाराजगंज)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में कमकर नाम से प्रचलित खरवार जाति के लोग अनुसूचित जनजाति को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि भारत सरकार की अधिसूचना सं0 एस0आर0ओ0 2477, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 के अनुसार कमकर को खरवारों की भूमि दस्तावेज से विलोपित करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली पत्र सं0 1201614/2003 सी0 बी0 एल0 एम0, दिनांक 24 मई, 2018 प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार को पत्र भेजा गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कमकर को खरवारों के भूमि दस्तावेज से विलोपित करने के लिए आदेश पारित करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना को संचालित करना

*1324. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के धरहरा प्रखंड के सारोबाग पंचायत के सारोबाग में सहायक थाना बनाने का प्रस्ताव मुंगेर जिला, पुलिस अधीक्षक द्वारा 13 सितम्बर, 2020 को ही विभाग को भेजा गया था परंतु अबतक सरकार द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है यदि हाँ, तो सरकार सारोबाग थाना को कबतक संचालित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'ग'-सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 41, दिनांक 24 फरवरी, 2021 द्वारा वित्त विभाग में स्थानान्तरित।

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*1325. श्रीमती मीना कुमारी (क्षेत्र संख्या-34 बाबूबरही)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत लदनियां प्रखण्ड के महुलिया बिसहरीया एवं कुमरखत ग्राम में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण कब्रिस्तान का उपयोग आम रास्ता, शौच एवं पशुओं का चारागाह के रूप में होता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त ग्राम की कब्रिस्तानों की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1326. श्रीमती वीणा सिंह (क्षेत्र संख्या-129 महनार)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला वैशाली के प्रखण्ड-जन्दाहा अंतर्गत पंचायत-बहसी सैदपुर में ग्राम-बिलन्दपुर धंधुआ उर्फ शेरपुर अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नही की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

खादी पार्क/खादी मॉल का निर्माण

*1327. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला अन्तर्गत जिला खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की अपनी 50 डिसमिल जमीन शहर के मुख्य व्यावसायिक क्षेत्र बलभद्रपुर में स्थित है, जहाँ पर खादी पार्क या खादी मॉल के निर्माण होने से हजारों बेरोजगारों को रोजगार मुहैया होगा साथ ही राजस्व की भी प्राप्ति होगी, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थल पर खादी पार्क/खादी मॉल का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर अस्वीकारात्मक है। उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का दरभंगा जिला अंतर्गत बलभद्रपुर में कोई जमीन नहीं है, इसलिए खादी पार्क एवं खादी मॉल का निर्माण कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*1328. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत पूर्णियाँ नगर निगम वार्ड संख्या 42 में संत कविरया कब्रिस्तान की चहारदीवारी नहीं रहने के कारण इसकी जमीन का अतिक्रमण हो रहा है तथा सामाजिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा हमेशा बना रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति करना

*1329. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बोखड़ा प्रखंड के बुद्ध नगर ग्राम के शोभित पासवान बीट नं०-1/4 चौकीदार बोखरा अंचल की मृत्यु 16 अगस्त, 2008 में हो चुकी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि स्व० शोभित पासवान का पुत्र चन्द्रबली पासवान ने अनुकम्पा के आधार पर नौकरी हेतु जिला समहर्ता, सीतामढ़ी को दिनांक 17 दिसम्बर, 2016 को आवेदन दिया था परन्तु अभीतक नियुक्ति के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अनुकम्पा के आधार पर चन्द्रबली पासवान की नियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आवास का निर्माण कराना

*1330. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर अनुमंडल के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को सरकारी आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2012 में पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवास हेतु जिला पदाधिकारी मधुबनी से सरकार द्वारा प्राक्कलन की माँग की गयी थी, परन्तु सरकार के द्वारा निर्माण हेतु अभीतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है जिससे अनुमंडलकर्मियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक अनुमंडल के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के आवास का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री-- (1) अस्वीकारात्मक ।

(2) अस्वीकारात्मक ।

(3) सम्प्रति भवन निर्माण विभाग द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी का आवास तथा ग्रुप-बी० सी० डी० टाईप का भवन निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है, जबकि ग्रुप ए० टाईप (चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों) का भवन निर्माण कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण हो चूका है ।

खादी मॉल बनवाना

*1331. श्री हरीभूषण ठाकुर ''बचोल''(क्षेत्र संख्या-35 बिस्फी)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड अन्तर्गत धजवा, सिमरी एवं रहिका प्रखंड अन्तर्गत रहिका कमलपुर में खादी ग्रामोद्योग की करोड़ों की कीमती जमीन अनुपयोगी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जमीन पर खादी से उत्पादित सामग्रियों का निर्माण कार्य एवं खादी मॉल बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन बनाना

*1332. श्री सुर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी (अ० जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के बखरी अनुमंडल में कारा की भूमि एवं भवन नहीं रहने में विचाराधीन बंदियों को समस्तीपुर के रोसड़ा एवं दलसिंहसराय के कारा भवन में रखा जाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अनुमंडल में कारा भवन बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कारा में कैंटीन खोलना

*1333. <u>श्री राजेश कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-104 हथुआ)</u>--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि केन्द्रीय कारा, गया में कैंटीन नहीं रहने से कैदियों को रोजमर्रा का सामान नहीं मिल पाता है जिसके कारण कैदियों को परेशानी होती है जबकि कैंटीन के नाम पर समोसा की बिक्री की जाती है यदि हाँ, तो सरकार गया केन्द्रीय कारा सहित राज्य के अन्य सभी कारा में कैंटीन खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पैनल की अवधि नवीनीकृत करना

*1334. <u>श्री महबूब आलम (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)</u>--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बीपीएसएम ने नवम्बर, 2017 में आईटी मैनेजर पद पर नियोजन हेतु कुल 150 अभ्यर्थियों का चयन कर पैनल गठित किया था जिससे भारत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्लूएस) के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण नियम लागू किये जाने का हवाला देकर उक्त पैनल को बीपीएसएम ने पत्रांक-1032, दिनांक 11 जून, 2019 द्वारा पहले रद्द कर दिया और पुनः ज्ञापांक 1339, दिनांक 24 जुलाई, 2019 द्वारा रद्दीकरण आदेश को निरस्त कर पैनल बहाल कर दिया किन्तु कोरोना महामारी में समय व्यतीत होने के कारण उक्त पैनल के चयनित अभ्यर्थियों में लगभग 100 अभ्यर्थी नियोजन से वंचित हुये तत्पश्चात् नवम्बर, 2020 में पैनल की वैधता अवधि भी समाप्त हो गयी, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पैनल की वैधता अवधि अगले 3 वर्षों के लिये नवीनीकृत करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

<u>प्रभारी मंत्री</u>--आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक 8 नवम्बर, 2017 को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी के अंतर्गत आई० टी० प्रबंधकों के संविदात्मक पद पर नियोजन हेतु निर्धारित अर्हता के आधार पर कुल 150 अभ्यर्थियों के पैनल का निर्माण किया गया ।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण नियम लागू होने के क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में इस पैनल को रद्द किया गया था । पुनः प्रकाशित विज्ञापन के शर्तों के अधीन शेष बचे हुये रिक्ति के विरुद्ध नियमानुसार नियुक्ति की कार्रवाई किये जाने से संबंधित परामर्श सामान्य प्रशासन विभाग से होने के आलोक में पैनल को पुनः बहाल किया गया ।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी के अंतर्गत आई० टी० प्रबंधक के संविदात्मक रिक्त पद के विरुद्ध समय-समय पर रिक्ति के अनुरूप आई० टी० प्रबंधकों का नियोजन किया गया । कोरोना महामारी के दौरान भी माह जुलाई, 2020 के कुल 13 अभ्यर्थियों एवं पुनः माह सितम्बर, 2020 में कुल 04 अभ्यर्थियों को आई० टी० प्रबंधक के पद पर नियोजन हेतु आमंत्रित किया गया । जिसमें से क्रमशः कुल 09 एवं 04 अभ्यर्थियों का आई० टी० प्रबंधक के रिक्त पदों के विरुद्ध नियोजन किया गया । 150 अभ्यर्थियों के निर्मित आई० टी० प्रबंधक के पैनल से पैनल की वैधता अवधि में कुल 68 अभ्यर्थियों को आई० टी० प्रबंधक के संविदात्मक पद पर योगदान हेतु आमंत्रित किया गया, जिनमें से कुल 53 अभ्यर्थियों द्वारा योगदान किया गया ।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी के शासी परिषद् के निर्णय के आलोक में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी के अंतर्गत आई० टी० प्रबंधक के संविदात्मक पद पर नियोजन हेतु निर्मित पैनल की वैधता को अंतिम रूप से प्रकाशित पैनल के प्रकाशन की तिथि से 03 वर्ष निर्धारित है । सम्प्रति इस पैनल की वैधता दिनांक 7 नवम्बर, 2020 को समाप्त हो चुकी है ।

शासी परिषद् की दिनांक 5 फरवरी, 2021 की बैठक में नये पैनल का निर्माण हेतु किये जाने की स्वीकृति दी गयी है ।

आई० टी० प्रबंधक के संविदात्मक पद पर नियोजन हेतु दिनांक 8 नवम्बर, 2017 को निर्मित पैनल की वैधता को नवीनीकृत करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रावधान विलोपित करना

*1335. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अन्य किसी आरक्षण के प्रावधान से अनाच्छादित आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने हेतु 103वाँ संविधान संशोधन किया गया है जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये बिहार अधिनियम 2, 2019 कि नियम II में ई०डब्ल्यू०एस० में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उसे सामान्य श्रेणी का अनारक्षित पद घोषित कर उसी कैलेण्डर वर्ष में नियुक्ति करने का प्रावधान है लेकिन बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित चिकित्सकों/बिहार चिकित्सा सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 16/2019, दिनांक 10 सितम्बर, 2020 में 343 ई०डब्ल्यू०एस० के 98 पद पर पूर्व से आरक्षण प्राप्त कोटि को आरक्षित वर्ग के लोगों की अनुशंसा कर दी गयी है, यदि हाँ, सरकार संविधान विरोधी उपर्युक्त प्रावधान को विलोपित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर अस्वीकारात्मक है । इस संबंध में बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। आयोग के पत्रांक 263, दिनांक 18 फरवरी 2021 द्वारा सूचित किया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या 2622, दिनांक 26 फरवरी, 2019 द्वारा बिहार में पदों एवं सेवाओं के रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये) आरक्षण नियमावली, 2019 के नियम 7 में यह प्रावधान है कि यदि किसी भी वर्ष में या किसी सत्र के नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अधीन आरक्षित कोटि से भरे जाने वाले उम्मीदवार अधिनियम के अधीन विहित आरक्षण प्रतिशत तक उपलब्ध न हो, तो बची हुयी रिक्तियाँ@सीटें उसी समव्यवहार में खुली गुणागुण कोटि के उम्मीदवार से भर दी जायेगी ।

उपर्युक्त नियम के आलोक में विज्ञापन संख्या 16@2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अधीन कुल रिक्त 343 के विरुद्ध 196 अभ्यर्थी उपलब्ध पाये गये, जिनका चयन किया गया। बची हुयी 147 रिक्तियों को खुली गुणागुण कोटि के अभ्यर्थियों से भरा गया है।

प्रश्न के प्रथम खण्ड के उत्तर में स्थिति स्पष्ट की गयी है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये आरक्षण नियमावली, 2019 के नियम 7 के आलोक में बची हुयी रिक्तियाँ खुली गुणागुण कोटि के अभ्यर्थियों से भरी गयी है। अतः नियमावली के इस प्रावधान को विलोपित करने की आवश्यकता नहीं है।

योजना लागू करना

*1336. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के पालीगंज प्रखण्ड स्थित सिगोरी गाँव में हजारों बुनकर हथकरघा का काम करते हैं लेकिन उनके उद्योग को बढ़ावा देने की कोई सरकारी योजना नहीं होने के कारण आज उनकी आर्थिक दशा बदहाल है, परिवार भुखमरी के कगार पर है और उनके घरेलू उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार इन बुनकरों के उत्थान के लिये कोई योजना का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आरक्षण देना

*1337. श्री रामप्रवेश राय (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भारत सरकार के निदेशानुसार देश के अन्य राज्यों में भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी सेवा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है जबकि बिहार में इसका अनुपालन नहीं हो रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बिहार में भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बुनकर सहयोग समिति का उन्नयन

*1338. श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत ओबरा प्रखंड के एन०एच० 139 पर पुनपुन नदी के तट पर स्थित महफिल-ए-कालीन ओबरा प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति लिमिटेड लोक उपक्रम गठन वर्ष 1986 में राज्य सरकार द्वारा किया गया था, परन्तु उक्त लोक उपक्रम का अभीतक राज्य सरकार द्वारा उन्नयन नहीं किये जाने से बुनकर एवं आश्रित परिवारों के सामने भुखमरी का आलम है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित बुनकर सहयोग समिति का उन्नयन कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1339. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-5 लौरिया)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में पिछले तीन वर्षों से गन्ना में कोई मूल्य वृद्धि नहीं की गयी है जिसके कारण बिहार में गन्ना का मूल्य अन्य राज्यों से काफी कम है ;

(2) क्या यह बात सही है कि किसानों का विलम्बित भुगतान ब्याज के साथ नहीं दिया जाता है जबकि इस संबंध में न्यायालय द्वारा निर्देश भी दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसानों को उनके गन्ना का मूल्य पुनर्निर्धारित करने तथा किसानों के लंबित भुगतान ब्याज सहित किसानों को नहीं देने वाले पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि चालू पेराई सत्र 2020-21 के लिये उत्तम एवं सामान्य प्रभेद के गन्ने पर 5 रु०/क्विंटल तथा निम्न प्रभेद पर 7 रु०/क्विंटल की बढ़ोतरी की गयी है। पेराई सत्र 2020-21 के लिये ईख मूल्य निम्नरूपेण घोषित किया गया है एवं उसके अनुरूप चीनी मिलों द्वारा ईख मूल्य का भुगतान किया जा रहा है :--

(क) उत्तम प्रभेद 315 रु०/क्विंटल

(ख) सामान्य प्रभेद 295 रु०/क्विंटल

(ग) निम्न प्रभेद 272 रु०/क्विंटल

(2) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम 1981 की धारा 43 (2) (ii) प्रावधानों के अनुसार ईखापूर्ति के 14 दिनों के अन्दर संबंधित गन्ना कृषक को उनके ईख मूल्य का भुगतान कर देना है तथा विलम्ब से ईख मूल्य का भुगतान करने की स्थिति में विलम्बित अवधि के लिये अनुमान्य सूद के साथ ईख मूल्य का भुगतान

करना है। तद्आलोक में राज्य के चीनी मिलों को विलम्ब से ईख मूल्य भुगतान करने की स्थिति में अनुमान्य सूद सहित ईख मूल्य की राशि का भुगतान करने का निदेश दिया गया है। साथ ही दोषी चीनी मिलों के विरुद्ध नीलाम-पत्र वाद दायर किया गया है।

(3) उपर्युक्त खंड (1) एवं (2) में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*1340. श्री आनन्द शंकर सिंह (क्षेत्र संख्या-223 औरंगाबाद)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत औरंगाबाद प्रखण्ड के नौगढ़ ग्राम पंचायत के नेहटा एवं देव प्रखण्ड के पश्चिमी केताकी ग्राम पंचायत के केताकी में कब्रिस्तान की भूमि का अतिक्रमण कर लिया गया है एवं कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तानों को अतिक्रमण मुक्त कराकर घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थापित करना

*1341. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत नवगछिया अनुमंडल के खासकर बिहपुर, खरीक, नवगछिया में केला की खेती बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं होने के कारण किसानों को उक्त फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, यदि हाँ, तो सरकार केला की औद्योगिक इकाई कबतक स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि सरकार के द्वारा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र को उच्च प्राथमिकता में रखा गया है और निवेश को आकर्षित करने के लिये विशेष पैकेज की व्यवस्था की गयी है।

निजी क्षेत्र के निवेशकों द्वारा यदि इकाई स्थापित की जाती है तो सरकार द्वारा प्रावधान के तहत आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है, अतएव निजी उद्यमियों को आगे आने की आवश्यकता है ।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अन्तर्गत अबतक खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र में कुल 169 इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस दिया जा चुका है। जिसमें से 134 इकाइयाँ कार्यरत हो चुकी है। भागलपुर जिला में प्रारंभ से अबतक खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र में कुल 13 प्रस्तावों को स्टेज-1 क्लियरेंस (सैद्धांतिक सहमति) तथा कुल 05 प्रस्तावों पर वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस दिया गया है। वर्तमान में पाँचों इकाईयाँ कार्यरत हो चुकी है। जिसमें मुख्य रूप से मल्टी फ्रूट जूस एण्ड स्क्वॉश, राईस मिल, मस्टर्ड ऑयल एवं वेयर हाउस है।

जहाँ तक केला आधारित इकाई के स्थापना का प्रश्न है तो उद्योग विभाग, बिहार सरकार के द्वारा इकाई की स्थापना नहीं की जाती है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के निवेशकों द्वारा यदि इकाई स्थापित की जाती है तो उल्लेखित नीति के प्रावधान के तहत प्रोत्साहन दिया जाता है। साथ ही कृषि विभाग के द्वारा भी बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति, 2020 पूरे राज्य में लागू की गयी है, जिसके तहत कृषि आधारित कृषि प्रसंस्करण इकाई की स्थापना/विस्तारीकरण /आधुनिकीकरण/ विविधिकरण की पच्चीस लाख से पाँच करोड़ तक की परियोजना के लिये व्यक्तिगत निवेशक के लिये 15 प्रतिशत पूँजीगत अनुदान Farmer Producer Company के लिये 25 प्रतिशत पूँजीगत अनुदान का प्रावधान किया गया है।

सम्मान पुरस्कार देना

*1342. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार द्वारा 2015 से हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवियों तथा साहित्यकरों को शिखर सम्मान पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उर्दू के सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं कवियों को शिखर सम्मान पुरस्कार 2010 से नहीं दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उर्दू के सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं कवियों को शिखर सम्मान पुरस्कार देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी एवं शौचालय का निर्माण कराना

*1343. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चिरैया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत चिरैया प्रखंड के हराज पंचायत स्थित गोड़या हराज मंदिर का प्रांगण कच्चा है तथा चहारदीवारी एवं शौचालय नहीं है; यदि हाँ, तो सरकार उक्त मंदिर के प्रांगण में पी० सी० सी० ढलाई करने तथा चहारदीवारी एवं शौचालय का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उद्योग की स्थापना

*1344. श्री अखतरुल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 9 नवम्बर, 2018 को प्रकाशित शीर्षक '' बिहार के पिछड़ेपन को नौकरशाह जिम्मेदार'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि 2 वर्ष पूर्व ही राज्य के बिहार राज्य सुगर कॉपरेशन की लगभग 2600 एकड़ जमीन बियाडा को सौंपने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रिया गोल्ड का 250 करोड़ रुपया का निवेश प्रस्ताव रद्द हो गया और यह निवेश ओड़िसा चला गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य में उद्योग की स्थापना हेतु भूमि बैंक बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है गन्ना उद्योग विभाग, बिहार पटना द्वारा मंत्रिपरिषद् की दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 की बैठक में कार्यावली संख्या 23 में प्राप्त अनुमोदन के आलोक में अधिसूचना ज्ञापांक 671, दिनांक 16 जून, 2020 से चीनी मिल की 2442.41 एकड़ भूमि बियाडा को हस्तांतरित की गई है ।

(2) अस्वीकारात्मक है । उल्लेखनीय है कि प्रिया गोल्ड (सर्वश्री सूर्या फूड एण्ड एग्रो लिमिटेड) द्वारा बिस्किट के उद्योग स्थापना हेतु दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 को बियाडा अंतर्गत सिकन्दरपुर में 15.00 एकड़ भूमि आवंटन हेतु ऑन लाईन आवेदन दिया गया, जिसकी परियोजना लागत लगभग 132 करोड़ रुपये थी ।

दिनांक 29 दिसम्बर, 2018 के परियोजना समाशोधन समिति (पी० सी० सी०) के बैठक में समिति द्वारा सर्वश्री सूर्या फूड एण्ड एग्रो लिमिटेड को 15.00 एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्णय लेते हुये भूमि का प्रथम किस्त के रूप 30% राशि एवं 18 माह के अन्दर शेष 70% राशि 10% सूद सहित भुगतान करने की सहूलियत दी गई । इसके लिये इकाई को एक लाख प्रति एकड़ की दर से 18 माह के लिये बैंक गारंटी जमा करना था । तद्नुसार सर्वश्री प्रिया गोल्ड को बियाडा के कार्यालय पत्रांक 6656/डी०, दिनांक 29 दिसम्बर, 2018 द्वारा भू-आवंटन पत्र निर्गत किया गया । इकाई को निर्गत भू-आवंटन पत्र के आलोक में 15 दिनों के अन्दर प्रथम किस्त की 30% राशि का भुगतान किया जाना था ।

प्रथम किस्त की 30% राशि का भुगतान नहीं किये जाने के कारण इकाई को बियाडा के पत्रांक 2542/डी०, दिनांक 30 मार्च, 2019 एवं पत्रांक 3338/डी०, दिनांक 17 मई, 2019 से राशि का भुगतान करने हेतु स्मारित किया गया । इकाई से प्रथम किस्त की राशि का भुगतान प्राप्त नहीं होने के कारण बियाडा के कार्यालय 5867/डी०, दिनांक 26 सितम्बर, 2019 से इकाई को आवंटित भूमि का भू-आवंटन रद्द कर दिया गया ।

(3) उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है । राज्य सरकार उद्योगों की स्थापना के लिये भूमि बैंक बनाने हेतु प्रयासरत है ।

नौकरी उपलब्ध कराना

*1345. श्री तेजस्वी प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-128 राघोपुर)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी सरकारी विभाग/कार्यालयों में लाखों नियमित पद रिक्त है लेकिन सरकार द्वारा नियमित नियुक्ति नहीं की जा रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बेरोजगार युवाओं को नियमित रिक्त पदों के विरुद्ध नौकरी उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कोषागार स्थापित करना

*1346. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत बिक्रमगंज में कोषागार भवन का निर्माण वर्ष 2005 में होने के बाद भी संबन्धित कार्य सासाराम में चल रहा है, यदि हाँ, तो सरकार बिक्रमगंज में कोषागार स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राज कुमार सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा।

पटना :
दिनांक 08 मार्च, 2021 (ई०) ।

बि०स०मु० 121 (एल०ए०), 2020-21 डी०टी०पी०-550